संख्या-39/001/523-25-27-3099-298-2024

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 जून, 2025

विषयः मा0 उच्च न्यायालय से आच्छादित रिट सी संख्या-3725/2024 मीरा देवी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में भू-प्रतिकर पर ब्याज की धनराशि की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-408/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/सरयू परियोजना-द्वितीय, दिनांक 20.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर से संबंधित मा0 उच्च न्यायालय से आच्छादित रिट सी संख्या-3725/2024 मीरा देवी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक दिनांक 28.11.2024 के अनुपालन भू-प्रतिकर पर ब्याज की मांग से संबंधित धनराशि रूपये 1,32,509.00 (एक लाख, बत्तीस हजार, पांच सौ नौ रूपये) को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार भुगतान किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर से संबंधित मा0 उच्च न्यायालय से आच्छादित रिट सी संख्या-3725/2024 मीरा देवी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक दिनांक 28.11.2024 के अनुपालन भू-प्रतिकर पर ब्याज की मांग से संबंधित धनराशि रूपये 1,32,509.00 (एक लाख, बत्तीस हजार, पांच सौ नौ रूपये) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवर्त्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 1,32,509.00 (एक लाख, बत्तीस हजार, पांच सौ नौ रूपये) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4701-84-050-10-16-24 पूर्ण परियोजनाओं के अवशेष भू-प्रतिकर (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
(6) मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-द्वितीय), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोण्डा।
(7) अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
(9) अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-2, बस्ती।
(10) अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ, सिद्धार्थनगर।
(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।